संख्या-369/2018/968/69-1-2018-73(अ0सं0-37)/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक :31 मई, 2018

विषय: शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित धनराशि से जनपद-अमरोहा की 05 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4528/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 15 फरवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-अमरोहा की नगर पालिका परिषद, अमरोहा की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 05 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु शासनादेश संख्या-287/2018/336/69-1-18-73(अ0सं0-37)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2018 द्वारा द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में रू0 81.405 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी किन्तु वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं हो सका था। अतएव उक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2018 को निरस्त करते हुए जनपद-अमरोहा की नगर पालिका परिषद, अमरोहा की उक्त 05 परियोजनाओं हेतु **"मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत** चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि **रू0 81.405 लाख (रूपये इक्यासी लाख चालीस हजार पांच सौ मात्र)** की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः..........2

http://shasanadesh.up.nic.in

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-**मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना**-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत् किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- /2018/ (1)/69-1-2018, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, अमरोहा।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत् किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
31/5/18

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-369 /2018/964 (1)/69-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, अमरोहा।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 369 /2018/968/69-1-2018-73(अ0सं0-37)/2016 दिनांक 31 मई, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	अमरोहा	न0पा0प0 अमरोहा	मो0 नल हाशमी डिग्री कालेज के पास में मस्जिद से कब्रिस्तान तक, मेन रोड से अल्ताफ के प्लाट तक व मेन रोड से हाजी सलाउद्दीन के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं दोनों तरफ नाली का निर्माण कार्य।	27.58	13.79
2	तदैव	तदैव	मो0 नल हाशमी डिग्री कालेज के पास में मेन रोड से लईक के घर तक व कमर के मकान के सामने तक, अफजल के मकान से साइन के मकान तक एवं मेन रोड से फईम के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं दोनों तरफ नाली का निर्माण कार्य।	26.42	13.21
3	तदैव	तदैव	मो0 परवेज नगर एवं दानिश मदनान में अमर के मकान से नजीमा के मकान तक, माइकल के मकान से इरफान के मकान तक एवं फ्रूट फैक्ट्री से शहनवाज के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं दोनों तरफ नाली का निर्माण कार्य।	42.10	21.05
4	तदैव	तदैव	मो0 परवेज नगर एवं दानिश मदनान में राधेश्याम के मकान से बुद्दा के मकान तक, यासीन के मकान से सलमान के मकान तक, शहनवाज के मकान से कब्रिस्तान तक एवं मास्टर के मकान से अन्जुम भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं दोनों तरफ नाली का निर्माण कार्य।	26.18	13.09
5	तदैव	तदैव	मो0 रोहन वाटिका में गुलजार के प्लाट से फैईम के मकान तक, फिदा हुसेन के मकान से असन के मकान तक, कमरुद्दीन के प्लाट से अली अहमद के घर तक एवं मास्टर साहब के प्लाट एव दिलशाद के प्लाट के सामने, अशरफ के प्लाट से यासीन के मकान तक, नसीर के घर से आसिफ के घर तक, बबलू के घर से असगर के घर तक,मोहिन के घर से नन्हें के घर तक एवं अहरोई से खरखाना के पीछे तक इण्टरलाकिंग एवं दोनों तरफ नाली का निर्माण कार्य।	40.53	20.265
			योग	162.81	81.405

(रूपये इक्यासी लाख चालीस हजार पांच सौ मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in